राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान
तिलक मार्ग, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।

क्रमांकः–ई–33/प्रयो. सहायक/एमएनआईटी/(सीधी भर्ती–2018)/2018/ 331 दिनांकः– 29/5/18

प्रयोगशाला सहायक के अनुसूचित क्षेत्र के रिक्त पदों पर नियमित भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञप्ति वर्ष–2018

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत विभाग में प्रयोगशाला सहायक के **अनुसूचित क्षेत्र के 141 (अनुसूचित क्षेत्र के 109 पद तथा बैक लॉग के अनुसूचित जाति–3 एवं अनुसूचित जनजाति–29 पद) रिक्त पदों** पर नियमित भर्ती के लिये सीधी भर्ती 2018 हेतु इन नियमों में उल्लेखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। ये ऑनलाईन आवेदन पत्र राज्य के सभी ई–मित्र (E-Mitra) कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र पर **दिनांक 01.06.2018 प्रातः 10 बजे से दिनांक 30.06.2018 मध्य रात्रि 12:00** बजे तक भरे जा सकेंगे। इसके पश्चात् ऑनलाईन लिंक स्वतः ही निष्क्रिय हो जायेगा। विभाग विशिष्ट परिस्थितियो में इन तिथियो में परिवर्तन करने के लिये स्वतंत्र होगा।

उक्त विज्ञापित पदो का वर्गवार विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.स.	वर्ग	कुल पदों की संख्या	पुरूष	महिला
1	अनारक्षित	55	39	16
2	अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)	05	04	01
3	अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)	49	35	14
	कुल	**109**	**78**	**31**

बैकलॉग के पदों का विवरण निम्न प्रकार हैः–

क्र.स.	वर्ग	कुल पदों की संख्या
1	अनुसूचित जाति (TSP क्षेत्र)	3
2	अनुसूचित जनजाति (TSP क्षेत्र)	29
	कुल	**32**

क्षैतिज आरक्षणः–

विधवा, परित्यक्ता, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक एवं उत्कृष्ट खिलाड़ी वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण देय होगा।

विज्ञापित पदों में कमी अथवा वृद्धि किये जाने हेतु विभाग स्वतंत्र रहेगा, जिसके लिये पृथक से कोई विज्ञप्ति जारी नही की जावेगी। आरक्षण की स्थिति व नियुक्ति प्रक्रिया **विज्ञप्ति जारी होने की तिथि** को विद्यमान नियमो एवं राज्य सरकार के निर्देशो के अध्यधीन रहेगी।

1.आवेदन करने की प्रक्रिया

(i) भर्ती हेतु आवेदन पत्र ऑनलाईन (Online Application Form) लिये जायेंगे, जिन्हे राज्य के निर्धारित समस्त ई–मित्र(E-Mitra) कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से भरा जा सकता है। निर्धारित राशि रूपये 50/– सेवा प्रदाता को सेवा शुल्क के रूप में देनी होगी। हॉर्ड कॉपी के रूप में किसी भी प्रकार के आवेदन पत्र विभाग द्वारा स्वीकार नही किये जावेंगे।

(ii) अभ्यर्थी अपनी श्रेणी के अनुरूप आवेदन शुल्क राज्य के निर्धारित ई–मित्र(E-Mitra) कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र के माध्यम से जमा करा सकेगा। आवेदन करते समय अभ्यर्थी पदनाम (जिसके लिये आवेदन किया जा रहा है) स्वयं का नाम, पिता का नाम, वर्ग, जन्म तिथि, मूल निवास एवं अन्य निर्धारित योग्यताओ का वर्णन सादा पेपर पर अंकित कर ई–मित्र(E-Mitra) कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र पर प्रस्तुत कर सही प्रविष्टियों की एंट्री सुनिश्चित करवायेगा।

(iii) आवेदक आवेदन शुल्क जमा कराने की रसीद में स्वंय से संबंधित प्रविष्टियां यथा– स्वयं का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी, मूल निवास आदि प्रविष्टियां सावधानी पूर्वक सोच समझ कर सही रूप से दर्ज करावें। आवेदन पत्र सबमिट (Submit) करने से पहले प्रिव्यू (Preview) की सुविधा उपलब्ध है। अतः सम्पूर्ण आवेदन पत्र को जांच लेवे एवं यदि कोई त्रुटि हो तो सबमिट करने से पूर्व उसे सही कर लेवे। आवेदन पत्र सबमिट (Submit) होने के पश्चात् उसका प्रिंट ई–मित्र(E-Mitra) कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र संचालक से अवश्य प्राप्त कर लेवे।

(iv) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन पत्र में फोटो अपलॉड करने के लिये अपना नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साईज ($4.5cm \times 3.5cm$) फोटोग्राफ ई–मित्र(E-Mitra) कियोस्क/जन सुविधा केन्द्र पर साथ लाये।

(v) **अभ्यर्थी को अपना पासपोर्ट साईज फोटो, स्वयं के हस्ताक्षर, शैक्षणिक, व्यावसायिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य अर्हता संबंधित दस्तावेज इत्यादि** आवेदन के समय स्कैन कर अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

(vi) नियमों में उल्लेखितानुसार अनुभव प्राप्त आवेदक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा यथाविधि जारी अनुभव प्रमाण पत्र भी ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है। अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड नही किये जाने की स्थिति में आवेदक को बोनस अंक/आयु में शिथिलता देय नही होगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। **ऑनलाईन आवेदन करने के पश्चात् किसी प्रकार का अतिरिक्त अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।**

(vii) अभ्यर्थी यह ध्यान रखे कि ऑनलाईन आवेदन के उपरान्त उन्हे आवेदन पत्र क्रमांक (Application ID) आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा और यदि आवेदन पत्र क्रमांक उपलब्ध नही होता है तो इसका अर्थ यह है कि आवेदन पत्र जमा (Submit) नही हुआ है।

(viii) काउन्सलिंग हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियो को ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी मय समस्त संबंधित दस्तावेजो के साथ प्रस्तुत करनी होगी।

नोटः–

(i) ऑनलाईन आवेदन पत्र में वांछित सूचना निर्धारित स्थान पर अवश्य अंकित करे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर अभ्यर्थी का आवेदन रद्द कर दिया जावेगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।

(ii) गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन पत्र में सुधार हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र सबमिट के पश्चात् कोई प्रार्थना पत्र/पत्र व्यवहार स्वीकार नही किया जावेगा।

(iii) कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जानबूझ कर भ्रामक सूचना देने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त करने के साथ दण्डात्मक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।

(iv) अभ्यर्थी स्वयं के वर्ग में ही आवेदन करें।

(v) अभ्यर्थी अपने ऑनलाईन आवेदन पत्र का प्रिंट आउट आवश्यक रूप से अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि विभाग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सके।

2. आवेदन शुल्कः–

(i) सामान्य वर्ग/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिये – रू 500/–

(ii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये – रू 300/–
(केवल राजस्थान राज्य के टीएसपी क्षेत्र के मूल निवासी अभ्यर्थियों के लिये)

(iii) विधवा/तलाकशुदा/सभी श्रेणी के विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिये – रू 250/–

(iv) ऑनलाईन आवेदन करने का निर्धारित सेवा शुल्क रू 50/– अभ्यर्थी द्वारा ई–मित्र कियोस्क को पृथक से देय होगा।

(v) आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जावेगा।

3. आरक्षण

(i) विज्ञापित पदों पर नियमानुसार आरक्षण देय होगा।

(ii) अनुसूचित क्षेत्र के निवासी अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण की गणना राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.13(20)कार्मिक/क–2/91/पार्ट दिनांक 04.07.2016 के अनुसार की जावेगी।

(iii) अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिये केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के स्थानीय निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों से ऐसे व्यक्ति अभिप्रेत है जो अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी है और जो स्वयं या यदि उनका जन्म 1 जनवरी 1970 के बाद हुआ है तो उनके माता–पिता/पूर्वज 1 जनवरी 1970 के पूर्व से अनुसूचित क्षेत्र के सदभावी निवासी रहे है।

(iv) विज्ञापित पदों में नियमानुसार 8 प्रतिशत पद विधवा एवं 2 प्रतिशत पद परित्यक्ता (विवाह विछिन्न) महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो विधवा महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पद को उस वर्ग की परित्यक्ता (विवाह–विछिन्न) महिला अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। इसी प्रकार पर्याप्त परित्यक्ता महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी वर्ग की विधवा महिला अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। यदि विधवा एवं परित्यक्ता वर्ग की महिला अभ्यर्थी दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नही होती है तो इनके लिये आरक्षित पद को उसी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों से भरा जावेगा। विधवा वर्ग की महिला अभ्यर्थी आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पति का मृत्यु प्रमाण पत्र एवं मृतक से अभ्यर्थिया का विवाह होने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा परित्यक्ता महिला (विवाह विछिन्न) को भी विवाह विच्छेद का प्रमाण अर्थात् सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी (कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या एफ.7(2)डीओपी/ऐ–II/88पार्ट–1 दिनांक 22.12.2015)।

(v) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की विवाहित महिला अभ्यर्थियों को उनके पिता के नाम/निवास स्थान के आधार पर राजस्थान राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। **पति के नाम/निवास के आधार पर जारी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नही होगा।** यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा फीस के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की देय शिथिलता का लाभ प्राप्त किया जाता है तो उसे कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या F-7(1)DOP/A-II/99दिनांक 26.07.2017 के अनुसार अभ्यर्थी के पैतृक वर्ग में ही मान कर चयन प्रक्रिया में सम्मिलित किया जावेगा। चाहे उसके प्राप्तांको का औसत प्रतिशत सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के अंतिम कटऑफ से अधिक ही क्यों ना हो।

(vi) विज्ञापित पदों में राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नही होने पर इन पदों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17.01.2013 के अनुसार शेष इन रिक्तियो को आगामी तीन भर्ती वर्षो के लिये अग्रणित किया जायेगा। यदि किसी भर्ती वर्ष में भर्ती नही की जाती है तो ऐसे वर्षो को उक्त तीन वर्ष की अवधि में संगणित नही किया जायेगा।

परन्तु यह और कि इस उप–नियम के अधीन सामान्य प्रक्रिया के अनुसार रिक्तियों का भरा जाना पद आधारित रोस्टर के अनुसार पदों के आरक्षण को प्रभावित नही करेगा और रोस्टर में आरक्षित पदों पर उपलब्ध रिक्तियों को अनुसूचित जातियों या यथास्थिति, अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों में से भरा जा सकेगा जिनके लिये ऐसी रिक्ति पश्चात्वर्ती वर्षो में उपलब्ध हो।

(vii) भूतपूर्व सैनिको को 12.50 प्रतिशत आरक्षण नियमानुसार दण्डवतरूप में देय होगा। अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। आरक्षण के संबंध मे कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या प–5(18)/कार्मिक/क–2/84 पार्ट दिनांक 16.08.2016 प्रभावी रहेगा।

(viii) विज्ञापित पदों के लिये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान के नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 राजस्थान विशेष योग्यजन का (समान अवसर, अधिकारो के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) नियम 2011 के अनुसार विशेष योग्यजन (Persons with disabilities) को 3 प्रतिशत आरक्षण दण्डवतरूप से देय होगा। अर्थात् अभ्यर्थी जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के पदों में समायोजित किया जावेगा। विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान जयपुर के

नोटिफिकेशन दिनांक 21.07.2011 में शिड्यूल 32 में वर्णित पद विशेष के कार्य के लिये पात्र विशेष योग्यजन अभ्यर्थी को ही उसी श्रेणी में आरक्षण का लाभ देय होगा। विशेष योग्यजन की पृथक से मेरिट सूची बनाकर चयनित अभ्यर्थियों को उनकी मूल जाति वर्ग के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध चयनित माना जावेगा। विशेष योग्यजन के उक्त नियम के नियम 38(4) के अनुरूप उपरोक्त विशेष योग्यजनो की अनुपलब्धता के कारण अन्य किसी भी पर्याप्त कारण से पद भरा नही जा सकता तो वह ऐसी रिक्ती को अग्रणित किया जावेगा।

नोटः–1. 40 प्रतिशत या इससे अधिक One Leg/Both Leg Locomotor (OL/BL) Disability होने पर ही दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र माना जायेगा। 40 प्रतिशत से कम OL/BL Disability होने पर अपने पैतृक वर्ग में सामान्य अभ्यर्थियों की तरह आवेदन का पात्र होगा। One Leg/Both Leg के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की निःशक्तता होने पर विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित पदों के विरूद्ध नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

2. इस विज्ञप्ति के संदंर्भ में विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की राय/प्रमाण पत्र के आधार पर ही विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय होगा।

(xi) **उत्कृष्ठ खिलाडी** :– उत्कृष्ठ खिलाडियो को आरक्षण राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक F.5(31)DOP/A-II/84 दिनांक 15.03.2013 के अनुसार कुल रिक्तियो का 2 प्रतिशत दण्डवत्‌रूप (Horizontal) में देय होगा। अर्थात आवेदक जिस वर्ग का होगा तो उसके पैतृक वर्ग में ही समायोजित किया जायेगा। इस वर्ग के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नही होने पर इस पद को नियमानुसार सामान्य प्रक्रिया से भरा जावेगा।

<u>उत्कृष्ठ खिलाड़ी सम्बन्धी प्रावधान</u> :–कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ5(31)डीओपी /ए–II/84 दिनांक 15.03.2013 के तहत् किये गये संशोधन के अनुसार "उत्कृष्ठ खिलाडियो" से अभिप्रेत है और इसमें सम्मिलित है, राज्य के ऐसे खिलाड़ी जिन्होने–

1. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।
2. इण्डियन स्कूल स्पोर्ट फेडरेशन या संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्कूल गेम्स फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया हो।

या

3. इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन एवं संबंधित मान्यता प्राप्त नेशनल स्पोर्टस फेडरेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के कोई राष्ट्रीय टूर्नामेन्ट में व्यक्तिशः या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

या

4. इण्डियन यूनिवर्सिटीज एसोसियेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी खेलकूद के ऑल इण्डिया इन्टरयूनिवर्सिटी टूर्नामेन्ट में व्यक्तिगत स्पर्धा में या टीम स्पर्धा में मेडल जीता हो।

<u>4. वेतनमान व अन्य सुविधायें:–</u>

चयनित अभ्यर्थियों को दो वर्ष के प्रोबेशन काल में वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र संख्या एफ. 15 (1) एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार निम्न प्रकार नियत पारिश्रमिक देय होगाः–

पदनाम	**पे–मेट्रिक्स लेवल**	**प्रोबेशनकाल में देय नियत पारिश्रमिक (Fix Remuneration)**
प्रयोगशाला सहायक	**L-5**	**14600/–**

(i) दो वर्ष का परीविक्षाकाल सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही नियमानुसार नियमित पे–मेट्रिक्स देय होगी।

(ii) नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.01.2004 से निर्धारित की गई अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

5. योग्यता

भर्ती हेतु विज्ञापित पदों के लिये शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता का विवरण निम्नानुसार है–

पदनाम	शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता
Lab Assistant	1. Senior Secondary with Science or its equivalent and 2. Any diploma in Medical Laboratory Technology from an institute recognized by the State Government. However, for the first time recruitment, after the commencement of the Rajasthan Medical & Health Subordinate Service (Amendment) Rules, 2018, any persons possessing,- 1. Secondary or its equivalent; and 2. Any Diploma in Medical Laboratory Technology from an institute recognized by the State Government; or having minimum three years experience of working as Laboratory Assistant/Laboratory Technician in State Government Hospitals on contract basis or through Service Provider Agency, shall also be eligible.

उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी के लिये राजस्थान चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 में यथाविहित समस्त अन्य योग्यताये पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमों के तहत् नियुक्ति हेतु अयोग्य नही होना चाहिये।

6. आयु :–

आयु के संबंध में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियम 10 के प्रावधान लागू होंगे।

(i) आयु सीमा की गणना **01.01.2019** को आधार मानकर की जावेगी।

(ii) न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम आयु **40** वर्ष होनी चाहिये।
परन्तु इस अधिकतम आयु सीमा में कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के अनुसार गत वर्षो में प्रयोगशाला सहायक के पद पर भर्ती नही किये जाने के कारण अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की शिथिलता देय होगी।

(iii) अधिकतम आयु में राज्य सरकार के विभिन्न प्रावधानो के अनुसार निम्न प्रकार शिथिलता प्रदान की जावेगी:–

(a) सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं सहरिया जाति के पुरूष अभ्यर्थी के लिये अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी।

(b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं सहरिया जाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट देय होगी।

(c) विधवाओं और विवाह विछिन्न महिलाओं के मामले में अधिकतम आयु सीमा नही होगी, किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहिये।
स्पष्टीकरण:–विधवा महिला के मामले में अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा मृतक के साथ अभ्यर्थिया के विवाह संबंधी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा तथा विवाह–विछिन्न महिला के मामले में विवाह विच्छेद की सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री प्रस्तुत करनी होगी।

(d) राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायीतौर पर सेवा कर रहे व्यक्तियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष होगी।

(e) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों के नियोजन के संबंध में प्रमुख शासन सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, शासन सचिवालय जयपुर के पत्र कमांक एफ 16(1)(107)dis.w./s.j.ed/2011/56534 दिनांक 21.07.2011 के उप नियम 39 के अधीन नियुक्ति के लिए सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमों के अधीन पहले से विहित शिथिलिकरण को सम्मिलित करते हुए अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय है।
(i) सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष।
(ii) पिछडा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष।
(iii) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष।

(f) भूतपूर्व सैनिको हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष होगी।

आयु की छूट के संबंध में विशेष प्रावधानः– कार्मिक विभाग की अधिसूचना संख्या एफ 2(1)/डीओपी/ए–II/82 दिनांक 30.08.2013 के अनुसार जो अभ्यर्थी राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 10 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप सरकार, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षाकोष, एनआरएचएम, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, झालावाड़ अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी, समेकित रोग निगरानी परियोजना या राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) में इस विज्ञप्ति द्वारा विज्ञापित पद पर कार्यरत है/रहे हैं उन अभ्यर्थीयों को इस विज्ञापित पद पर उनके कार्यानुभव अवधि की सीमा तक अथवा अधिकतम 5 वर्ष की आयु सीमा में शिथिलता प्रदान की जावेगी।

नोटः–

1. उक्त विशेष प्रावधान के तहत आयुसीमा में शिथिलता उपर वर्णित आयु सीमा में शिथिलता के साथ अतिरिक्त रूप से देय होगी। इस विशेष प्रावधान के तहत आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 10 के तहत आयु सीमा मे छूट के अन्य प्रावधान Non Cumulative है, अर्थात् अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जावेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोडकर छूट का लाभ देय नहीं होगा। इस विशेष प्रावधान की छूट अतिरिक्त रूप से देय होगी किन्तु राज्य सरकार द्वारा निश्चित की गई सेवानिवृति आयु से उसकी आयु कम होनी चाहियें।
2. उपरोक्तानुसार आयु सीमा में छूट का लाभ निर्धारित प्रपत्र में सक्षम प्राधिकारी से जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगा।
3. संस्थाई कर्मचारी को नियमानुसार अधिकतम आयुसीमा में छूट तभी दी जावेगी यदि अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि का संस्थाई कर्मचारी की श्रेणी में हो अन्यथा आवेदक को अधिकतम आयु सीमा में छूट नहीं दी जावेगी।
4. आयु संबंधी छूट की अधिक जानकारी के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिनस्थ सेवा नियम, 1965 के यथासंशोधित तथा राज्य अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्ते) नियम 2014 एवं समय समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी संशोधन, निर्देश, परिपत्र एवं अधिसूचना का अध्ययन करे।

7. अनुभव के आधार पर बोनस अंकः–

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित नियमों के नियम 19 में उल्लेखित प्रावधानों के तहत् अभ्यर्थियों को बोनस अंक देय है।

(i) अभ्यर्थियों की पात्रता की जॉच एवं दस्तावेजो के सत्यापन के समय आवेदक को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षाकोष, एनआरएचएम, मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी, एड्स कन्ट्रोल सोसायटी, संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम, झालावाड़ अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी, समेकित रोग निगरानी परियोजना, राज्य स्वास्थ्य परिवार कल्याण संस्थान (SIHFW) एवं राज्य सरकार के अधीन समान कार्य करने का विभाग के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यह अनुभव प्रमाण पत्र विज्ञापित पद के लिये ऑनलाईन आवेदन

करने की अंतिम तिथि से पूर्व का जारी किया हुआ होना आवश्यक है। अनुभव अवधि की गणना विज्ञप्ति जारी होने की तिथि तक की जावेगी। अनुभव प्रमाण पत्र का **प्रारूप 'अ' संलग्न**है। विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी प्रारूप में जारी किया गया अनुभव प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

(ii) राजस्थान सरकार के अधीन प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रधानाचार्य झालावाड़ हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सोसायटी, राजकीय डेन्टल कॉलेज, निदेशक, जन स्वास्थ्य/आर.सी. एच/मोबाईल सर्जिकल यूनिट/आइ.ई.सी/एड्स, अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह, परियोजना निदेशक, एनएचएम/एड्स, निदेशक आरआरसी, निदेशक SIHFW,राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी, राज्य के समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, समस्त जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, उप निदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला को उनके अधीन संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार पर कार्य करने पर अनुभव प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारी माना जावेगा।

(iii) ऑनलाईन आवेदन में अनुभव के संबंध में निर्धारित कॉलम में आवश्यक प्रविष्ठियां की जानी आवश्यक है। यदि ऑनलाईन आवेदन में अनुभव के कॉलम में आवश्यक प्रविष्ठिया नही की गई है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को अनुभव का लाभ नही दिया जायेगा। जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र को विभाग द्वारा जारीकर्ता अधिकृत प्राधिकारी से सत्यापन कराये जाने के पश्चात् ही बोनस अंक/आयु में शिथिलता का लाभ नियमानुसार दिया जावेगा एंव विभाग द्वारा चाहे जाने पर मूल अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

(v) अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करना अनिवार्य है, अन्यथा अनुभव का लाभ देय नही होगा एवं बाद में ऑफलाईन कोई अनुभव प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जावेगा।

8. अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन

(i) अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रो को **संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कॉलेज/डेन्टल कॉलेज द्वारा सत्यापित किया हुआ होना आवश्यक है।**

(ii) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी, मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, उप निदेशक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला द्वारा जारी अनुभव प्रमाण पत्रो को **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के संबंधित जोन के संयुक्त निदेशक द्वारा सत्यापित किया हुआ होना आवश्यक है।**

9. **अन्य योग्यताऐं:–**

(1) स्वास्थ्य:– विज्ञापित पद पर भर्ती के लिये उम्मीदवार मानसिक और शारिरिकरूप से स्वस्थ होना चाहिये और वह ऐसे किसी मानसिक या शारिरिक दोष से मुक्त होना चाहिये जो कि नर्सिंग संवर्ग के रूप में उसके कर्तव्यो के कुशल पालन में बाधा डाल सके और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो उसको इसके लिये अपना आरोग्यता प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी या मेडिकल ज्यूरिस्ट द्वारा हस्ताक्षरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है।

(2) चरित्र:– सेवा में सीधी भर्ती के लिये आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिये जिससे की वह विज्ञापित पद पर नियुक्ति के लिये योग्य हो सके। उसे सदचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहॉ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो, के प्रधानाचार्य/शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रदत अथवा दो ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियो के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने के पहले का ना हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार द्वारा दिये हुये नही हो। उक्त प्रमाण पत्र दस्तावेजों के सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

(3) राष्ट्रीयता:–

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल का प्रजाजन हो, या
(ग) भूटान का प्रजाजन हो, या
(घ)ऐसा तिब्बती शरणार्थी जो दिनांक 1.1.1962 से पहले भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से आया था, या

(ड) भारतीय मूल का व्यक्ति ने जो भारत में स्थाई रूप से बसने के विचार से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देश कीनिया, युगाण्डा और संयुक्त तंजानिया गणराज्य (भूतपूर्व टंगानिया तथा जंजीबार) जाम्बिया, मालवी, जैर और इथोपिया से भारत में स्थानान्तरण कर लिया हो।

नोट– परन्तु शर्त यह है कि वर्ग (ख),(ग),(घ),(ड) से संबंधित प्रार्थियों को भारत सरकार के गृह एवं न्याय विभाग द्वारा प्रदत पात्रता का वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

10. **चयन के लिये अयोग्यता :–**

(i) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी जिसके एक से अधिक जीवित पत्नियां है सेवा में नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नही होगा जब तक की सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रर्वतन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट न दे दे अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नही होगी।

(ii) कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने किसी ऐसी व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही कोई पत्नी है, सेवा मे नियुक्ति के लिये तब तक पात्र नही होगी जब तक की सरकार इस बात का समाधान करने के पश्चात् कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है, के आधार पर इस नियम के प्रवर्तन से उस महिला अभ्यर्थी को छूट न दे दें। अन्यथा इस नियम के प्रवर्तन से किसी भी अभ्यर्थी को छूट देय नही होगी।

(iii) ऐसा कोई भी अभ्यर्थी जिसके 01.06.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक जीवित बच्चे हो, सेवा मे नियुक्ति के लिये पात्र नही होगी, परन्तु दो से अधिक बच्चो वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये तब तक निरर्हित नही समझा जावेगा, जब तक की 01.06.2002 को विद्यमान उसके बच्चो की संख्या मे बढ़ोतरी नही होगी परन्तु यह ओर कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते है, वहां बच्चो के कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चो को एक ईकाई समझा जावेगा। यदि किसी अभ्यर्थी के जीवित दो सन्तानो में एक सन्तान विकलांग है तो उसके तीसरी संतान होने पर भी आवेदन करने योग्य माना जावेगा।

(iv) कार्मिक विभाग के परिपत्र संख्या 1(1)कार्मिक/क–2/2016 दिनांक 15.07.2016 में उल्लेखितानुसार भी अयोग्य माना जावेगा।

विशेष नोट:– अभ्यर्थी के बच्चो की कुल संख्या की गिनती करते समय डिसएबिलिटि (Disability) वाले बच्चों के संदर्भ मे कार्मिक विभाग के नोटिफिकेशन कमांक एफ.7(1)डीओपी/ए–II/95/पार्ट–2 दिनांक 24.02.2011 के प्रावधान लागू होगे।

(v) आयोग/सरकार/किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी भी परीक्षा मे वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अंतिम दिनांक तक समाप्त नही हुई है, इस नियुक्ति हेतु पात्र नही माने जावेगे। यह सुनिश्चित करना अभ्यर्थी का ही दायित्व होगा।

(vi) शासन के परिपत्र कमांक प.6(19)गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा मे नियुक्ति हेतु विवाह पंजियन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। ऐसे अभ्यर्थियो द्वारा यदि विवाह पंजियन नही करवाया गया है तो वे इस नियुक्ति के पात्र नही माने जावेगे। उक्त परिपत्र जारी होने की तिथि से पूर्व विवाहित अभ्यर्थी जिन्होने विवाह पंजीयन नही कराया है, उनके द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(vii) आवेदक के लिये राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 मे यथाविहित समस्त अन्य योग्यताऐ पूर्ण करना अनिवार्य है। वह आवेदित पद के लिये इन नियमो के तहत नियुक्ति हेतु अयोग्य नही होना चाहिए।

(viii) किसी भी विवाहित अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये पात्र नही माना जावेगा, यदि उसने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो।

11. **दस्तावेजों का सत्यापन :–**

(i) दस्तावेजो के सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को विभाग अथवा विभाग द्वारा नामित संस्था द्वारा आहूत करने पर निर्धारित तिथि/स्थान पर व्यक्तिशः उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु आहूत अभ्यर्थियो को निर्धारित स्थान पर आवेदन पत्र की हार्डकॉपी मय वांछित मूल दस्तावेज के साथ

एक अतिरिक्त स्वप्रमाणित छाया प्रतियों के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति, ऑनलाइन आवेदन के समय घोषित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता/अन्य योग्यता के प्रमाण पत्र, जाति/वर्ग प्रमाण पत्र एवं अन्य संबंधित दस्तोवजो/प्रमाण पत्रों आदि की प्रमाणित प्रतिलिपि और उक्त दस्तावेजो की मूल प्रति भी प्रस्तुत करनी होगी। मूल प्रमाण पत्रो से प्रस्तुत दस्तावेजो का मिलान नही कराने पर आवेदक की पात्रता स्वीकार नही की जायेगी। यदि आवेदक विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को समस्त दस्तावेजो सहित दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नही होता है तो आवेदक की पात्रता स्वीकार नही की जायेगी।

(ii) ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद कोई भी प्रमाण पत्र स्वीकार नही किया जायेगा।

(iii) आवेदको द्वारा ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित सूचना के आधार पर ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जावेगा। आवेदक द्वारा प्रस्तुत/घोषित दस्तावेजो एवं पात्रता संबंधी जांच करवाने का समस्त उत्तरदायित्व स्वयं आवेदक का होगा। दस्तावेजो के सत्यापन हेतु आमंत्रित किये जाने का अभिप्राय चयन से नही है अपितु आवेदित अभ्यर्थियों की पात्रता की जॉच मात्र है।

(iv) कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत करने अथवा जान–बूझकर भ्रामक, सूचना देने पर आवेदक का आवेदन निरस्त करने के साथ दण्डिक कार्यवाही भी अमल मे लायी जावेगी।

12. सामान्य निर्देश :–

(i) चयनित अभ्यर्थियो को संबंधित अधिकारी के समक्ष उपस्थिति प्रस्तुत करते समय शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अन्य योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन, चरित्र प्रमाण पत्र एवं स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आदि प्रस्तुत करना होगा।

(ii) यदि अभ्यर्थी द्वारा शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता पूरक परीक्षा के माध्यम से उत्तीर्ण की गई है, तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी के पूरक विषय के प्राप्तांको को जोड़कर ही वरियता सूची में सम्मिलित किया जावेगा।

(iii) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज न तो जोड़ा जावेगा और ना ही संशोधित किया जावेगा।

(iv) निःशक्तजन, भूतपूर्व सैनिको, उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिये आरक्षित पदों का आरक्षण क्षैतिज (Horizontal) होगा।

(v) शासन के परिपत्र क्रमांक प. 6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.05.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। दस्तावेज सत्यापन के समय विस्तृत आवेदन पत्र के साथ प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की जानी अनिवार्य होगी। यदि उक्त परिपत्र जारी होने से पूर्व विवाह हो चुका है तो इस आशय का शपथ पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

(vi) विशेष योग्यजन अभ्यर्थियों को इस भर्ती हेतु विभाग द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की राय/प्रमाण पत्र के आधार पर ही आरक्षण का लाभ देय होगा। जिसके लिये अभ्यर्थी को विभाग द्वारा आमंत्रित किये जाने पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होना होगा।

(vii) चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन विभाग की आवश्यकता, प्रशासनिक एवं अन्य कारणो से राजस्थान में किसी भी स्थान पर किये जाने के लिये विभाग स्वतन्त्र होगा। कोई भी अभ्यर्थी किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन का दावा नही करेगा।

(viii) राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 10 के प्रावधानो के अनुसार राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठाभीतौर (Substantive Capacity) पर सेवा कर रहे ऐसे आवेदक अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवदेन के साथ अपलोड करने पर वांछित लाभ देय होंगे।

(ix) ऑनलाईन आवेदन अंग्रेजी भाषा में ही भरा जावें।

(x) दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।

(xi) अभ्यर्थी सैकण्डरी की अंकतालिका के दोनों साईड की छाया प्रति संलग्न करें।

(xii) सिंगल पैरेन्टल अभ्यर्थी द्वारा माता अथवा पिता के नाम के कॉलम में NA शब्द का प्रयोग कर सकते है।

(xiii) यदि किसी आवेदक ने जान–बूझकर बिना साक्ष्य के गलत आरक्षण श्रेणी अंकित की है, तो आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही की जावेगी।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

क्रमांकः–ई–33/प्रयो. सहायक/एमएनआईटी/(सीधी भर्ती–2018)/2018/331 दिनांकः– 29/5/18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग एवं मिशन निदेशक, एनएचएम।
6. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
7. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज एवं संलग्न चिकित्सालय समूह।
8. निदेशक (जन स्वा0)/आरसीएच/ईएसआई/एमएसयू/एड्स, राजस्थान जयपुर।
9. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जोन।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
11. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम।
13. रक्षित पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ
राजस्थान जयपुर

कार्यालय ....

क्रमांक .... दिनांक ....

अनुभव प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमति/कुमारी .... पत्नी/पुत्री/पुत्र .... निवासी .... की नियुक्ति .... के आदेश क्रमांक ....
(कार्यालय का नाम)
दिनांक .... के द्वारा .... के पद पर संविदा/व्यक्तिगत अनुबंध/अस्थाई आधार
(पदनाम)
पर .... योजना मे की गयी थी, जो इस पर पद पर दिनांक ....
(योजना का नाम)
से दिनांक .... तक कार्यरत है/रहा है/रही है। इनकी उक्त पद पर कुल कार्य अवधि .... वर्ष .... माह .... दिन की है। अनुभव अवधि का सत्यापन संविदाकर्मी को दिये गये नियत पारिश्रमिक बिलो से कर लिया गया है।

हस्ताक्षर एवं मोहर

निदेशक, जनस्वा0/आरसीएच/आई.ई.सी./एड्स/आर.आर.सी./मोबाईल सर्जिकल यूनिट/SIHFW,प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक राजकीय मेडिकल कॉलेजझालावाड़, हॉस्पिटल एण्ड मेडिकल कॉलेज सोसायटी, राजकीय डेन्टल कॉलेज/परियोजना निदेशक, एनएचएम/एड्स, अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय समूह/राज्य क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/ प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी/उप निदेशक, राजकीय औषधि परिक्षण प्रयोगशाला, जयपुर/मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, राजस्थान जयपुर।

सत्यापन

कार्यालय ....

क्रमांक: .... दिनांक: ....

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अनुभव प्रमाण पत्र में अंकित अनुभव अवधि का सत्यापन देय पारिश्रमिक बिलो से निम्नहस्ताक्षरकर्ता द्वारा कर लिया गया है, जो सही पाया गया है।

नाम ....
हस्ताक्षर मय कार्यालय मोहर

प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक मेडिकल कॉलेज।	संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐ, जोन– ....